न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 116 / 2023 GCMS No.—2020/00018

1. विष्णु पुत्र नवल जाति मीणा नाबालिग सरंक्षक माता कमला देवी पत्नी नवल निवासी ग्राम साईवाड, हाल निवासी ग्राम खटवाडा, वाया महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. कमला देवी पत्नी नवल निवासी ग्राम साईवाड, हाल निवासी ग्राम खटवाडा, वाया महापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. कमला पुत्री महादेव पत्नी रामजीलाल निवासी मकान नंबर 57, गांधी नगर, राधाकिशन मन्दिर के पास, रतलाम (म.प्र.)।
2. जुगल पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी मु.पो.डाबला बुजुर्ग वाया रेनवाल तहसील फागी जिला जयपुर।
3. नारंगी पुत्री लक्ष्मीनारायण निवासी मु.पो. डाबला बुजुर्ग वाया रेनवाला तहसील फागी जिला जयपुर।
4. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी मु.पो. डाबला बुजुर्ग वाया रेनवाला तहसील फागी जिला जयपुर।
5. मुन्नी पत्नी रामनिवास पुत्री लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
6. मुन्नी देवी उर्फ नैना पत्नी उमराव पुत्री महादेव जाति मीणा निवासी बी–274, मानसरोवर सिंधी कॉलोनी के पास, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।
7. मोती पुत्री लक्ष्मीनारायण निवासी गोपालपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
8. रघुवीर सिंह पुत्र महादेव निवासी मकान नंबर 86, बस्सी सीतारामपुरा, नेहरू नगर, जयपुर।
9. लालाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी मु.पो. डाबला बुजुर्ग वाया रेनवाल तहसील फागी जिला जयपुर।
10. सुरेश कुमार पुत्र जगन्नाथ (माता मनभर)
11. रामलाल पुत्र जगन्नाथ (माता मनभर)
12. प्रदीप पुत्र जगन्नाथ (माता मनभर)
13. गुड्डी देवी पुत्री जगन्नाथ (माता मनभर)
14. सीता उर्फ केसर देवी पुत्री जगन्नाथ (माता मनभर)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 16.09.2017 श्रीमान तहसीलदार महोदय जमवारामगढ द्वारा पारित किया गया जिसके तहत नामान्तकरण संख्या 187 दिनांक 16.09.2017 स्वीकृत किया गया।

———————

उपस्थितः–

1. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 17.03.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 16.09.2017 जिससे नामान्तरकरण संख्या 187 वाके ग्राम साईवाड, तहसील जमवारामगढ तस्दीक किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.02.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पा0 संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 15 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 एवं रेस्पा0 संख्या 7 लगायत 14 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2017 विधि विधान एवं प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के सर्वथा प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम साईवाड तहसील जमवारामगढ की सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 344 रकबा 1.84 है0, खसरा नंबर 345 रकबा 1.83 है0, खसरा नंबर 347 रकबा 3.67 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.34 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी अपीलांट के दादा/ससुर महादेव पुत्र भूरा जाति मीणा के नाम हिस्सा 1/4 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। स्व. महादेव की मृत्यु दिनांक 23.09.2010 को हो गई थी। जिनकी मृत्यु के समय उनके जायन्दा वारिसो में रघुवीर पुत्र महादेव, व मृत पुत्र नवल के वारिसान में विष्णु व उसकी पत्नी कमला थे। पटवारी हल्का द्वारा विभाजन के वाद के डिक्री होने पर विभाजन के नामान्तकरण के साथ ही महादेव की विरासत का नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के अनुसार विरासत का नामान्तकरण अलग से दर्ज कर उसके उपरान्त विभाजन के निर्णय व डिक्री का नामान्तकरण दर्ज किया जना विधि सम्मत था। रेस्पा0 द्वारा आपसी मिलीभगत कर विरासत का नामान्तकरण अपीलांट की जानकारी में दिये महादेव की पुत्रीयों के नाम भी दर्ज करवा दिया। जबकि उक्त विरासत के नामान्तकरण में महादेव की पुत्रियों एवं उनकी मृत पुत्रीयों के वारिसान का किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं था। अपीलांट व रेस्पा0 अनूसूचित जनजाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है एवं अनूसुचित जनजाति सदस्यों में एवं परिवार में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (उपधारा 2) के तहत मीणा जनजाति के व्यक्तियों पर उक्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नहीं किया कि भिन्न–भिन्न आदेश के आधार पर अलग अलग नामान्तकरण दर्ज किया जाना आवश्यक था एवं दो अलग–अलग आदेशो के आधार पर एक नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अपील अपीलांट जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा तस्दीक विवादित नामान्तकरण संख्या 187 दिनांक 16.09.2017 को महादेव की सीमा तक अपास्त किया जाकर अपीलाधीन भूमि में मीणा जाति के प्रावधानो के तहत पुनः नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के डिक्री आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। न्यायहित में अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 187 पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के आधार पर दर्ज किया गया। जिसके पश्चात तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 16.09.2017 को अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में विचाराधीन विभाजन के वाद में पारित निर्णय की पालना में तस्दीक किया गया है। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति (मीणा) के सदस्य है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में पुरूष वर्ग है तो महिला वर्ग को कोई भी कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं होते है साथ ही विभाजन के नामान्तकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महादेव की विरासत का नामान्तकरण भी तस्दीक कर दिया गया। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के नामान्तकरण में स्व. महादेव की खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तकरण उसकी जायन्दा पुत्र, पुत्रियों के हक में तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व संशोधन अधिनियम 2005 तथा विद्धान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 2 (उपधारा 2) के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थो के अन्दर आने वाली किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यो को तब तक लागू नहीं होगी तक कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न करें। इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6091/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2022 अनुसार **Daughters**

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

belonging to Schudeuled Tribe cannot claim any right in the property of father and therefore we hope and trust that the Central Government will look into the matter and take an appropriate decision taking into consideration the right to equality guaranteed under articles 14 and 21 of the constitution of India. अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा स्व. महादेव की पुत्रियों के नाम विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया है जबकि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति से होने के कारण पुत्रियों को वर्तमान में पिता की सम्पत्ति में उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत अनुसार हक अधिकार नहीं होना प्रतीत होता है। अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा विरासत के आधार पर भरे गये नामान्तकरण में खातेदार काश्तकारों के अनुसचित जनजाति से संबंधित होने के तथ्य पर गौर किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया जो नियमानुसार उचित नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश दिनांक 16.09.2017 बाबत नामान्तरकरण संख्या 187 वाके ग्राम साईवाड, तहसील जमवारामगढ स्व. महादेव की भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ **(Remand)** प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, उपरोक्त तथ्यो की रोशनी में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर